

(2)

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

पटना- 15, दिनांक :/03/2011

संख्या- पर्या०/वन 02/2011 /प०व०, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस०ओ०- 255 (ई०) दिनांक 07.02.2011 के आलोक में अब बिहार सरकार बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना को राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (एस०ई०आई०ए०ए०) बिहार (जिसे इसमें इसके पश्चात "प्राधिकरण" कहा गया है) एवं राज्य विशेषज्ञ आकलन समिति (एस०ई०ए०सी०) बिहार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आकलन समिति" कहा गया है) के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अभिकरण (Agency) घोषित करती है।

2. प्राधिकरण एवं आकलन समिति के सभी कानूनी कृत्यों की बाबत सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी समर्थन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना उपलब्ध कराएगी एवं इनकी बैठक पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण केन्द्र (Centre For Environment and Nature Conservation), पटना विश्वविद्यालय में होगा।

3. प्राधिकरण एवं आकलन समिति के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता बिहार राज्य सरकार के नियमों के अनुसार बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना द्वारा संदत्त किया जायेगा।

4. यह अधिसूचना जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974, की धारा- 18 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निर्गत किया जा रहा है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(रामावतार राम)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक- पर्या०/वन02/2011 /प०व०

पटना-15, दिनांक : /03/2011

प्रतिलिपि : उप सचिव, ई० गजट कौषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं हार्डकापी के साथ बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(रामावतार राम)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक- पर्या०/वन02/2011 /प०व०

824

पटना-15, दिनांक 30/03/2011

प्रतिलिपि : सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना/निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/प्रो० आर०सी०सिन्हा, अध्यक्ष, सी०ई०आई०ए०ए०, बिहार एवं मुख्य कार्यकारी पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण केन्द्र, पटना विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रामावतार राम)

(रामावतार राम)

सरकार के विशेष सचिव